


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1592/2013जिला.....बीकानेर.....

उनवान – सुभोला देवी पत्नी श्री चान्दरतन राठी, श्री डूंगरगढ, बीकानेर बनाम उप पंजीयक, श्री डूंगरगढ व अन्य

नं. व हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.11.2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री के.एल.जैन, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री तेज सिंह का प्रार्थना पत्र प्राप्त एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। अतः प्रार्थी वकील इस निगरानी को ओर आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं विद्वान करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।</p> <p>प्रार्थी अभिभाषक का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अर्ज जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> 23/11/16 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	